



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP42833160852796T
Certificate Issued Date	: 23-Nov-2021 04:25 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14361804/ RAMPUR SADAR/ UP-RMP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1436180475615465144004T
Purchased by	: MOHD KAMIL HUSSAIN SO MOHD IQBAL
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: FOR AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Second Party	: MOHD KAMIL HUSSAIN SO MOHD IQBAL
Stamp Duty Paid By	: MOHD KAMIL HUSSAIN SO MOHD IQBAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

EXUTANT

EXUTANT

Md. Iqbal Ferooz
ADVOCATE
Veh. Sadar Rampur

23/11/21

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shrestamp.com' or using Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला,
तथा
गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर द्वारा प्रो० मो० कामिल हुसैन, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग,
गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर।
के मध्य

अनुबन्ध-पत्र

मुरादाबाद शहर में 02 स्थलों पर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य नेशनल एम्बियन्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर द्वारा कार्य प्रथम बार आरम्भ किया जाना है। मुरादाबाद नगर में 02 स्थलों पर वायुगुणता का कार्य अनुश्रवण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 01 वर्ष हेतु स्वीकृत है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला जिसे एतत् पश्चात् प्रथम पक्ष कहा जायेगा और गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर द्वारा प्रो० मो० कामिल हुसैन, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर जिसे एतत् पश्चात् द्वितीय पक्ष कहा जायेगा। निम्नलिखित रूप से सहमत हुए हैं कि :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मुरादाबाद नगर में 02 स्थलों क्रमशः पी०टी०सी० एवं बुद्ध बाजार, मुरादाबाद पर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण किया जाएगा, जिसके लिये प्रथम पक्ष द्वारा रू० 7,40,000/- (रू० सात लाख चालीस हजार मात्र) टैक्स सहित, प्रति वर्ष की दर से (02 अनुश्रवण केन्द्रों के लिए) भुगतान किया जायेगा।
2. यह कि उक्त अनुबन्ध, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को स्वीकृत परियोजना की समयावधि कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिये मान्य होगा।
3. यह कि उक्त परियोजना के संचालन हेतु स्वीकृत कुल धनराशि रू० 7,40,000/- (रू० सात लाख चालीस हजार मात्र) टैक्स सहित का 50 प्रतिशत अग्रिम रूप से द्वितीय पक्ष को देय होगा। उक्त 50 प्रतिशत के भुगतान हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा इन्वायस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रथम पक्ष को प्रेषित की जायेगी। परियोजना के अन्तर्गत अनुश्रवण कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा छः माह के कुशल संचालन के पश्चात्, परियोजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि की शेष/द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु इन्वायस द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के माध्यम से ही प्रथम पक्ष को प्रेषित की जायेगी। साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित अनुश्रवण केन्द्र के संचालन-संबंधी सत्यापन-आख्या भी, उक्त क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति सहित प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में अंकित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात् ही भुगतान बोर्ड द्वारा देय होगा।
4. यह कि परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के विरुद्ध भुगतान में अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हो सकता है, उक्त परिस्थिति में संस्था/द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि उक्त परियोजना में स्वीकृत धनराशि में वायुगुणता अनुश्रवण से संबंधित समस्त कार्य तथा स्टेशनों के संचालन एवं अनुरक्षण, स्थल का किराया, बिजली का किराया, श्रमशक्ति, संयंत्रों की मरम्मत इत्यादि सभी व्यय सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी अन्य मद में किसी भी प्रकार का भुगतान द्वितीय पक्ष को नहीं किया जायेगा।
6. यह कि प्रत्येक अनुश्रवण केन्द्र पर सप्ताह में दो दिन 24 घंटे लगातार (वर्ष में 104 दिन) वायु अनुश्रवण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य किया जाना होगा। अनुश्रवण केन्द्रों क्रमशः पी०टी०सी० एवं बुद्ध बाजार, मुरादाबाद में 03 प्रवालकों पीएम10, सल्फर डाई आक्साइड तथा नाईट्रोजन डाई आक्साइड गैस का विश्लेषण किया जाएगा। अनुश्रवण एवं विश्लेषण कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवेशीय वायुगुणता के आंकड़े नियमित रूप से अनुश्रवण कार्य के 24 घंटे के अन्दर इंटरनेट के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रथम पक्ष के कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जायेगा। सभी आंकड़ें निर्धारित प्रारूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को माह की समाप्ति पर प्रथम दस दिवसों में आवश्यक रूप से (हार्ड कॉपी/साफ्ट कॉपी) में उपलब्ध कराये जाएंगे। डाटा गैप होने की दशा में उक्त अवधि/दिवसों का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुश्रवण कार्य के समस्त अभिलेख गोपनीय रखे जाएंगे और इनका प्रयोग किसी शोध कार्य, रिसर्च पेपर, समाचार पत्र एवं वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं आदि में बिना बोर्ड की अनुमति के प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। अनुश्रवण कार्य के परिणामों/आंकड़ों पर प्रथम पक्ष का ही अधिकार होगा।

Md. Iqbal Farooq
ADVOCATE

9. यह कि अनुश्रवण कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को 01 माह का नोटिस देते हुए आवंटित कार्य को निरस्त किया जा सकता है। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध अवधि के मध्य अनुश्रवण का कार्य बन्द किया जाता है तो इसकी सूचना प्रथम पक्ष को निश्चित रूप से 03 माह पूर्व प्रेषित करनी होगी।
10. यह कि उपरोक्त समस्त कार्यों का सम्पादन स्थानीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के निगरानी में किया जाएगा एवं प्रतिदिन में आने वाली समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ही किया जाएगा। यदि परियोजना अवधि के मध्य परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण संबंधी संघर्षों में गरम्मत इत्यादि की आवश्यकता पड़ने पर इसका निराकरण द्वितीय पक्ष स्वयं अपने स्तर से करायेंगा। इस संबंध में किसी प्रकार के व्यय आदि का वहन प्रथम पक्ष द्वारा नहीं किया जायेगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुश्रवण से संबंधित उपकरणों का कैलीब्रेशन एन.ए.बी.एल. ऐक्रेडिटेड लेब द्वारा प्रतिवर्ष कराया जायेगा। कैलीब्रेशन का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है। आर०डी०एस० एवं बैलेन्स के इन्टर्नल एवं एक्सटर्नल कैलिब्रेशन का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट एवं रिकार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्रथम पक्ष को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।
12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रोजेक्ट कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष के प्रमुख से हस्ताक्षर करा कर आवश्यक रूप से प्रथम पक्ष को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
13. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट प्रथम पक्ष को प्रेषित की जाये जिसमें आंकड़ों के साथ उनकी विवेचना एवं सांख्यिकीय विश्लेषण भी सम्मिलित हो।
14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता कार्यों, प्रयोगशाला की गुणवत्ता, अनुश्रवण कार्य की गुणवत्ता इत्यादि की समीक्षा समय-समय पर प्रथम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद एवं प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
15. दीपावली पर्व के दौरान परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य 24 घण्टा लगातार 15 दिवसों तक दीपावली पर्व के दिन सहित {पर्व से 01 सप्ताह पूर्व (07 दिन), पर्व से 01 सप्ताह बाद (07 दिन) अर्थात् कुल 15 दिन तक निरन्तर} आवश्यक रूप से किया जायेगा, जिसमें कि हैवी मेटल्स का विश्लेषण कराया जाना भी सम्मिलित होगा। हैवी मेटल्स के प्रचालकों के विश्लेषण में होने वाले व्यय का भुगतान सरकारी संस्था हेतु निर्धारित दर पर बोर्ड द्वारा पृथक से दिया जायेगा।
16. यह कि इस अनुबन्ध से संबंधित विषय में किसी विवाद की दशा में निराकरण मैत्रीपूर्ण रीति से किया जायेगा अन्यथा की दशा में प्रकरण का निराकरण भारतीय मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार किया जायेगा एवं मध्यस्थ के चयन हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
17. यह कि विवाद की स्थिति में लखनऊ न्याय क्षेत्र होगा।

अतः आज दिनांक को उक्त अनुबन्ध पत्र पर पक्षकारों द्वारा सहमत होकर गवाहों की उपस्थिति में अपना-अपना हस्ताक्षर बनाया गया, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवें।

गवाह

1. शाहदतुल्लाह खान

511 नजीरुल्लाह खान

2000 नजीरुल्लाह

WITNESS

प्रथम पक्ष

EXUTANT


उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ द्वारा
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (के०प्र०)

द्वितीय पक्ष

गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर द्वारा
प्रो० मो० कामिल हुसैन,
सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग,
गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर।

2.

59
I Certified
I identified
Shore to
of the
presence of
dated 23/11/12



Md. Iqbal Farooq
ADVOCATE
Rah. Sadar, Rampur
23/11/12

